

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 10 जून, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 24 का संशोधन.-** राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) की धारा 24 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “राज्य सरकार की सलाह से” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राज्य सरकार के परामर्श से” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “पैंसठ वर्ष की आयु” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सत्तर वर्ष की आयु” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 12) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता रखने के लिए, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 24 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 10 जून, 2013 को राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 12) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 12 जून, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

हरजी राम बुरडक,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम,
2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण।

XX XX XX XX XX XX

24. कुलपति.- (1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसकी नियुक्ति उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विचयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पशुपालन और पशु विज्ञान में विख्यात शिक्षाशास्त्रियों के पैनल में से राज्य सरकार की सलाह से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और ऐसे पैनल में उक्त समिति के किसी भी सदस्य का नाम अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX

(4) कुलपति तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा किन्तु तत्पश्चात् वह कुलपति के पद को धारित करने के लिए पात्र नहीं होगा या नहीं होगी:

परन्तु-

(क) कुलाधिपति, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गयी है, एक वर्ष की कुल कालावधि से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद पर बना रहेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये; और

(ख) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा एक मास का नोटिस देने के पश्चात् अपने पद का त्याग कर सकेगा/सकेगी:

परन्तु यह और कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि, अपनी पदावधि के दौरान या उसके किसी विस्तार के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या कर लेती है तो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा/हो जायेगी।

(5) से (14) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND
ANIMAL SCIENCES
(AMENDMENT) BILL, 2013
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 10th June, 2013.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 13 of 2010.- In section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010),-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "on the advise of the State Government", the expression "in consultation with the State Government" shall be substituted; and

(ii) in second proviso to sub-section (4), for the existing expression "age of sixty five years", the expression "age of seventy years" shall be substituted.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 12 of 2013) is hereby repealed

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to maintain uniformity in the method of appointment and retirement age of the Vice-Chancellors, it had been decided to amend section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 12 of 2013) on 10th June, 2013, which was published in the Rajasthan Gazette, Part IV (B) Extraordinary, dated 12th June, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

हरजी राम बुरडक,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL
SCIENCES ACT, 2010
(Act No. 13 of 2010)**

XX XX XX XX XX XX

24. The Vice-Chancellor.- (1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed by the Chancellor on the advise of the State Government from a panel of eminent educationists in veterinary and animal sciences recommended by the Search Committee referred to in sub-section (2) and such panel shall not contain the name of any member of the said committee.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible to be appointed for a second term but thereafter he or she shall not be eligible to hold office of the Vice-Chancellor:

Provided that-

- (a) the Chancellor may, by order, direct that a Vice-Chancellor, whose term of office has expired, shall continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified in the order; and
- (b) the Vice-Chancellor may, by writing under his or her hand addressed to the Chancellor and after giving one month notice, resign his or her office:

Provided further that a person appointed as Vice-Chancellor shall retire from his or her office if, during the term of his or her office or any extension thereof, he or she completes the age of sixty five years.

(5) to (14) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(हरजीराम बुरडक, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 23 of 2013

**THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND
ANIMAL SCIENCES
(AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal
Sciences Act, 2010.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,

Special Secretary.

(Harji Ram Burdak, Minister-Incharge)